



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48813

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 178/2026

संत प्रसाद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 31 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार दुबे, विपुल कुमार दुबे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और पटल पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए दायर की गई है:

"a. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी), आजमगढ़ को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे अपील संख्या 1139 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 20235415600001955) [संत प्रसाद और अन्य बनाम

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हरगोविंद] का निस्तारण, 'उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम' की धारा 11(1) के अंतर्गत, यथासंभव शीघ्रता से-अधिमानतः निर्धारित समयावधि के भीतर, प्रतिदिन सुनवाई के माध्यम से-करें।"

3. यह निवेदन किया गया है कि उक्त अपील काफी लंबे समय से विचाराधीन है; तथापि, इसके शीघ्र निस्तारण हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यदि उपर्युक्त मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई निर्देश जारी किया जाता है।

5. इस संदर्भ में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा; इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करना उचित समझता है। ऐसा करते समय, न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। इसके साथ ही, न्यायालय समेकन के उप निदेशक (प्रतिवादी संख्या 2) को निर्देश देता है-जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला निपटारे हेतु लंबित है-कि वे कानून के अनुसार इस मामले का शीघ्रता से निर्णय करें; अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, बशर्ते कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।

6. उपर्युक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

10 मार्च, 2026

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"